नईदुनिया

पान भंडार व गोदाम से भारी मात्रा में नकली सामान जब्त

नईदुनिया न्यूज, रामानुजगंज : नगर के बस स्टैंड स्थित शापिंग कांपलेक्स में सचालित एक पान भंडार और उसके गोदाम में भारी मात्रा में नकली फेवीक्विक एवं विदेशी सिगरेट बरामद किया गया है। अधिकारियों द्वारा कापी राइट एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करने की बात कही जा रही है। जब्त नकली सामग्री एक लाख से ऊपर की बताई जा रही है। बताया गया कि उक्त पान भंडार में कोलकाता से आने वाली पान, जर्दा सहित तरह-तरह के सामग्रियों की थोक बिक्री की जाती है। उक्त दुकान से सामग्री लेकर नगर सहित झारखंड और आसपास के दुकानदारों के द्वारा बिक्री की जाती है। मुखबिर की सूचना पर बिहार, ओड़िसा, झारखंड, असम और छत्तीसगढ़ के जोनल हेड टोटन चक्रवती के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस छापा मारा। दुकान में काफी कम मात्रा में नकली सामग्री मिली लेकिन जब गोदाम में छापामारी की गई तो 17362 नग नकली फेविक्विक बरामद किया गया। इस कार्रवाई में कोलकाता से आए जोनल हेड टोटन चक्रवर्ती, सीनियर जांच अधिकारी सुकुंद हालदार, गोपी किनारे बेरा एवं थाना प्रभारी ललित यादव सहित एएसआई शिवचरण पैकरा, अमोश तिर्की, रामधनी पोर्ते, जगमोहन तिर्की, सुनील शर्मा, जगरानी तिर्की, अजेश पाल सक्रिय रहे।।

छापामारी के दौरान इंडोनेशिया की तीन पेटी सिगरेट भी बरामद की गई है। इस संबंध में कंपनी के जोनल हेड टोटन चक्रवर्ती ने बताया कि बरामद की गई सिगरेट में कोटपा एक्ट के तहत नियमानुसार किसी भी तरह की कोई चेतावनी अंकित नहीं थी, जबकि भारत देश में बिकने वाली तंबाकू सामग्रियों में सीधे तौर पर इसके सेवन से होने वाले घातक रोग एवं अन्य परेशानियों के बारे में चेतावनी रहती है। जोनल हेड ने यह भी बताया कि मुंबई के आइपी लीगल और बिहार राज्य के पटना में स्थित कार्यालय के निर्देश पर हम लोगों ने छापामारी किया गया है । थाना प्रभारी ललित यादव ने बताया कि जायसवाल पान भंडार एवं गोदाम में छापे की कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

Source: https://www.naidunia.com/chhattisgarh/ambikapur-huge-quantity-of-counterfeit-goods-seized-from-paan-store-and-warehouse-8300418